नम्बर /वर्ष 112/2016 अनवानी सुखमा बनाम अमरसिह

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
26/7/24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र बवेटमेन्ट एवं आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी/सुखमा के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 , 9 में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की श्रीराम फोत हो चुका है जिसकी सूचना वकील प्रतिवादी के द्वारा देने पर पता चला प्रतिवादी संख्या 8 श्रीराम के प्रार्थना पत्र में अंकित वारिसान के अलावा ध्यान में नही है इसलिये श्रीराम की जगह उनके वारिसान को फरीक बनाने की कृपा करे। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 के वारिसान को पक्षकार बनाया जावे। अमरसिह /प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11.08.2020 को अदालत हाजा में सुनचा दी जाकर नकल वकील वादी को दे दी गई थी लेकिन ज्ञान होने के कारण साल साल तक कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया ना ही कोई समूचित कारण पेश किया गया है देरीना माफी योग्य नही है वादीया का वाद खाता विभाजन का है जो पूर्णत उपसमन हो चुका है उसको निरस्त करवाने की कोई इस्तदुआ नही है मृतक श्रीराम के वारिसान को विधिक प्रावधानों के तहत दावा में पक्षकार बनाने से पूर्व दर्शित करने का नोटिस दिया जाकर उनको सुन कर ही प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा सकता है इससे पहले उनको कायम मुकान नही बनाया जा सकता है वाद वादी मृतक के खिलाफ प्राथमिक डिक्री किया गया है जो खिलाफ कानुन है अतः प्रार्थना पत्र विधिनुकुल नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 अमरसिह के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र 08.02.2020 पेश किया की प्रतिवादी संख्या 8 श्रीराम का देहान्त हो गया है जिसके विधिक वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये वाद उपसमन/अबेट हो गया है जिसकी नकल वकील वादीया को देना भी पाया जाता तथा पत्रावली प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाने पर जबाब प्रार्थना पत्र हेतु विचाराधीन रही पत्रावली में गत चार वर्षो से प्रतिवादी संख्या 8 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाने पर विचाराधीन चल रही थी किन्तु वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र का कोई जबाब नही दिया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने पुनः प्रार्थना पत्र वाद अवेट होने का पेश किया जिसका भी वादीया ने किसी प्रकार का कोई जबाब नही दिया गया वादीया के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 ,9 सीपीसी पेश कर प्रतिवादी संख्या 8 के वारिसान को पक्षकार बनाने का पेश किया जो चार सालो बाद [illegible] किया गया है प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के अवेट होने के प्रार्थना पत्र का कोई जबाब ना दिया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 के वारिसान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो अत्याधिक देरीना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.26 19:09:29 IST
Reason: SelfAttested

से है तथा अपने प्रार्थना पत्र में देरीना होने को कोई सन्तोषजनक कारण भी अंकित नही किया गया है ना ही अपने प्रार्थना पत्र में देरीना को माफ करने का कोई कारण अंकित किया गया है प्रार्थना पत्र पेश कर औपचारिता पूर्ण की गई जो न्यायोचित नही है इस प्रकार वाद में देरीना से प्रार्थना पत्र पेश होने से वादो के निस्तारण में काफी विलम्ब होगा जिससे न्यायालय में अनावश्यक ही मुकदमों का भार बढेगा जो न्यायोचित नही है। हॉ यह उल्लेखनिय है कि वादीया पूर्ण तथ्यों एवं आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाकर पूनः वाद पेश कर सकती है हस्तगत वाद में जो अवेट हो चुका है मे किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवचेन अनुसार वादीया ने प्रतिवादी संख्या 8 के वारिसान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र वाद अबेट होने के बाद पेश किया गया है जो न्यायोचित नही है तथा वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 के अवैट प्रार्थना पत्र के सम्बध में कोई कथन व्यक्त नही किया ना ही किसी प्रकार का जबाब पेश किया है वादीया का वाद पूर्णत्या अबैट हो चुका है वादीया का वाद खारिज योग्य है।

वादीया का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 ,9 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को प्रार्थना वाद अपसमन /अवैट होना स्वीकार किया जाकर वाद वादीया अपसंमन /अवैट किया जाकर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26/7/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
बोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.26 19:09:29 IST
Reason: SelfAttested